

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिसूचना

संख्या डी0 एल0 ए0 नालंदा - 2304/रत०, पटना, दिनांक-17-09-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-इस्लामपुर परगना-वेसवक, थाना नं०-106 (चादर-1) थाना-इस्लामपुर, जिला-नालंदा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् इस्लामपुर बाईपास पथ के लिए सरकारी रुच पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-इस्लामपुर, थाना नं०-106 (चादर-1) के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमेवेश 4.22 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:- खेसरा सं०-14, 162, 166, 171, 186, 189, 190, 191, 196, 218, 219, 220, 227, 228, 257, 258, 260, 276, 277, 278, 548, 554, 555, 570, 572, 573 एवं 619 सभी अंश तथा खेसरा सं०-187 एवं 188 पूर्ण।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर :- खेसरा सं०-619 अंश तथा सीवाना मौजा-वरडीह थाना नं०-96

पूरब :- खेसरा सं०-271, 278, 257, 162, 228, 227, 220, 219, 218, 191, 190, 189, 196, 14, 549, 548, 547, 573, 572, 570 एवं 619 सभी अंश।

दक्षिण :- सीवाना मौजा-इचहोस थाना नं०-101

पश्चिम :- खेसरा सं०-271, 276, 162, 166, 171, 172, 14, 549, 548, 547, 554 एवं 569 सभी अंश।

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 1, सन् 1981, संशोधित अधिनियम-1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध होना कि नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय, नालंदा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालंदा, बिहारशरीफ और उनके कर्मचारियों तथा इस योजना से सम्बन्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे.....के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा-21 में यथा उल्लिखित या बिनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा-17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय केय है कि परियोजना को शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 ए के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, नालंदा
अपर समाहर्ता, नालंदा
समाहर्ता, नालंदा

सरकार के सचिव

पत्रांक सं०-2304/रत० डी0 एल0 ए0-नालंदा, दिनांक-17-09-13

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालंदा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

प्रतिलिपि :- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालंदा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण संक के प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालंदा को दस प्रतियों में एवं इन्हें वेभा को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, नालंदा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव